न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

तारीख रजू– 16/09/14

अपील संख्या 233/14

1– नारायणी बैवा प्रभू 2– चतरसिंह 3– श्रवणकुमार पि. प्रभू जाति कोली (महावर) निवासी सूमेल तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

_____ अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,बामनवास।

_____ रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक–02/09/2015.

अपीलार्थीगण ने यह अपील तहसीलदार, बामनवास के नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 9/06/92 वाके ग्राम गढी गोपालपुरा बाबत आराजी खसरा नम्बर 1172 रकवा 0.66 हैक्टर बारानी ...न व 1178 रकवा 1.02 हैक्टर का जो रूपा पुत्र शंकर कोम कोली के फोत होने पर प्रभू पुत्र रूपा ...न कोली के पक्ष मे विरासत का नामान्तरकरण निरस्त किया गया है के विरूद्व पेश की है तथा ...लार्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई ...अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से पेरोकार ...कार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय ...सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क ...कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने ...य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि एडोप्शन एक्ट के अनुसार ...लिये जाने व गोद दिए जाने के लिए दत्तक डीड का रजिस्ट्रेशन होने की कोई आवश्यकता ...है। केवल गोद लिए जाने व दिये जाने की सेरेमनी अर्थात दत्तक पुत्र को गोद मे बैठाकर ...आदि बांटना, दत्तक होम करना व सार्वजनिक रूप से अपने आप को गोद पुत्र प्रदर्शित ...ही पर्याप्त है। पटवारी हल्का द्वारा गॉव मे इस तथ्य की जॉच कर ही नामान्तरकरण भरा ...फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो के विपरीत नामान्तरकरण अस्वीकार कर भारी ...भूल की है जिसके कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय है। विद्वान वकील ...र्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थीगण का पति/पिता प्रभू दत्तक पुत्र रूपा ...12/07/1998 को देहावसान हो चुका है जिसके अपीलार्थीगण जायत वारिस है। रूपा व ...प्रार्थीगण ही एकमात्र जायज कानूनी वारिस है तथा मृतक रूपा की भूमि पर लगातार ...यत खातेदार काबिज है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि रूपा ...अपने कुटुम्बी बन्धुजन के समक्ष अपीलार्थीगण के पति/पिता प्रभू को दिनांक 01/02/1974 ...द लिया था जिसके बाबत 4/–रू0 के एक स्टाम्प पर मगनलाल द्वारा गोदनामा लिखवाकर ...परिवारजनो द्वारा हस्ताक्षर निशानी करवाये थे इस प्रकार अपीलार्थीगण ही जायज कानूनी ...होने की वजह से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील ...र्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया

विद्वान वकील अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार ने बहस मे ...या कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमो के परिपेक्ष्य मे खारिज किया है

...कलेक्टर
...पुर

...कार

मे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज ाई जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह र्ष निकलता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रूपा पुत्र शंकर कोली के फोत होने पर पटवारी का ने यह रिपोर्ट कालम नम्बर 16 मे अंकित की है कि रूपा कोली फोत हो चुका है उसके स के पक्ष मे विरासत का नामान्तरकरण भरकर तस्दीक हेतु पेश है व भू–अभिलेख निरीक्षक ने ांक 18/06/92 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जॉच की, प्रभू रूपा का पुत्र नही है। प्रभू क पुत्र है परन्तु कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नही है। इस रिपोर्ट पर कैम्प सुमेल मे भू–अभिलेख क्षक के अनुसार दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेज नही होने से 19/06/92 को लाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया है। अदालत मातहत ने दत्तक पुत्र ी कोई दस्तावेज नही होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया है परन्तु अदालत मातहत त्रावली मे अपीलार्थीगण ने 4/–रू0 के स्टाम्प पर रूपा द्वारा चून्या का पुत्र प्रभू को दिनांक 02/74 को गढी सुमेल के पंचो के बीच मे गोद लेने बाबत जो छाया प्रति पेश की है उससे जाहिर होता है कि अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त है। यदि अदालत मातहत द्वारा दत्तक पुत्र होने के बारे मे जॉच की हुई होती तो री/गिरदावर द्वारा की गई जॉच मे इस बात का उल्लेख होता जो नही है। अतः मृतक रूपा दत्तक पुत्र होने के बारे मे जॉच करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अदालत का मातहत का नामान्तकरण संख्या 191 ांक 19/06/92 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार,बामनवास को इस निर्देश के साथ ेषित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर व जॉच पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण खोले जाने की नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2015 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर